22107

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP68153689160474V

Sameer Kumar. Advocate Mawana (Meerut) Reg. No. 7770/2003

IV - 119/23

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP68153689160474V
Certificate Issued Date	:	08-Nov-2023 01:36 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14111204/ MEERUT/ UP-MRT
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1411120429474673649064V
Purchased by	:	SMT NEHA MAVI
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	RAVI MAVI
Second Party	:	SMT NEHA MAVI
Stamp Duty Paid By	:	SMT NEHA MAVI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

MANOJ KUMAR RASTOGI UP-14111204 MAWANA

E-STAMP VERIFIED

E-STAMP LOCKED

IN-UP68153689160474V

Please write or type below this line

TRUST DEED

Ravimavi

Neha Mavi

RD 0014785878

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Sameer Kumar
Advocate
Mawana (Meerut)
Reg. No. 7770/2003

न्यास की घोषणा (ट्रस्ट डीड)

(अनुसूची 1.64 का दी इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899)

स्टाम्प शुल्क अंकन 750/–रूपये नं0 आई एन यूपी 68153689160474 वी

मैं रवि मावी पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी मकान नंबर 140 शहजादपुर तहसील मवाना जिला मेरठ.....................प्रथम पक्ष। अध्यक्ष।

व

श्रीमती नेहा मावी पत्नी श्री रवि मावी निवासी मकान नंबर 140 शहजादपुर तहसील मवाना जिला मेरठ.....................द्वितीय पक्ष। सचिव।

उपरोक्त सभी पक्षकारो को आगे व्यवस्थापक कहा गया है व्यवस्थापाको की हार्दिक इच्छा धार्मिक सेवा व शैक्षिक के क्षेत्र में कार्य करने की है जिसके लिए उपरोक्त व्यवस्थपको ने इस ट्रस्ट का नाम **"श्री सुरेन्द्र सिंह चैरिटेबल एण्ड एज्यूकेशनल ट्रस्ट"** रखा है उपरोक्त ट्रस्ट की स्थापना आज दिनांक 08.11.2023 ई0 को की गयी है।

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन 1100/– एक हजार एक सौ रूपये के एक मात्र स्वामी व अधिकारी हैं तथा शैक्षिक सामाजिक सेवा व धार्मिक कार्यो व निहित कार्यो के लिये जिनको आगे विवरण दिया गया है के लिए इस ट्रस्ट की स्थापना की गयी है और उक्त उद्देश्यो की पूर्ति के लिये व्यवस्थपको ने उपरोक्त

Ravi Mavi   Neha Mavi

ट्रस्ट में अंकन 1100/—रूपये की धनराशि इस उददेश्यो से हस्तान्तारित कर दी है और दे दी है कि न्यासीगण उपरोक्त धनराशि को आगे दी गयी शक्तियो एवं प्राविधानो के लिए बतौर न्यासीगण रखेगे। उपरोक्त व्यवस्थापकरण ने उक्त ट्रस्ट के प्रथम न्यासीगण होना स्वीकार किया है औ इस विलेख का निष्पादन कर रहे है अतः उपरोक्त व्यवस्थापक इकरार करते है और घोषणा करते है कि:—

(1) यह कि उक्त ट्रस्ट का नाम— **"श्री सुरेन्द सिंह चैरिटेबल एण्ड एज्यूकेशनल ट्रस्ट"।**

(2) यह कि उक्त ट्रस्ट का मुख्यालय— शहजादपुर तहसील मवाना जिला मेरठ।

(3) यह कि ट्रस्टीगण उक्त राशि अंकन 1100/— एक हजार एक सौ रूपये जिसे आगे ट्रस्ट का फंड कहा गया है तथा भविष्य में ट्रस्ट की सम्पत्ति सदस्यता शुल्क, नगद राशि, निवेश दान, ऋण अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधिक जमा अथवा चालू राशि जो ट्रस्टीगण को समय समय पर प्राप्त हो को धारण करेगें तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गई शक्तियों तथा मदों का अनुपालन करते हुए धारण करेगें।

(4) यह कि उक्त उददेश्यों के अतिरिक्त तथा उनपर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट के फंड तथा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिए गए उददेश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे स्र्वागीण रूप से प्रयोग कर सकते है।

Ravi Mavi

Neha Mavi

आवेदन सं०: 202300733022107

न्यास पत्र

बही स०: 4	**रजिस्ट्रेशन स०: 119**	**वर्ष: 2023**

प्रतिफल- 1100 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

श्री रवि मावी , Ravi Mavi
पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: निवासी मकान न0 140 शहजादपुर तहसील मवाना जिला मेरठ

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 08/11/2023 एवं 03:51:31 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मौ० मुसर्रत प्रभारी
उप निबंधक :मवाना
मेरठ
08/11/2023

मौ ० मुसर्रत
निबंधक लिपिक
08/11/2023

प्रिंट करें

(5) ट्रस्ट के उद्देश्य व कार्य :–

(1) आम नागरिको के लिये सस्ती शिक्षा एवं स्वास्थ सेवाओं के लिए शिक्षण संस्थाओं एवं अस्पतालों का निर्माण व संचालन करना।

(2) स्वयं सहायता समूहों का गठन करना उन्हे सरकारी योजनाओं से अवगत कराना व सरकारी योजनाओं का लाभ लेना और उनके द्वारा आम नागरिकों का उत्थान और विकास करना।

(3) असहाय बच्चों के लिए स्कूलों का निर्माण करना व श्रम विभाग द्वारा चलायें जा रहे ऐसे स्कूलों को लेना और उनका संचालन करना।

(4) यह कि मौलिक/मानव अधिकारों के हनन को रोकने के लिए पीडिता के पक्ष में लिखित में संबधित आयोगों व विभागों में कार्यवाही करना व न्यायालयों में वाद दायर करना।

(5) यह कि जनसमस्याओं के लिए जनहित में उच्चन्यायलों एवं सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिकाएं दायर करना।

(6) मौलिक/मानव अधिकारों पर शोध करना, सर्वे करना व वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करना।

(7) यह कि गरीब व असहाय व्यक्ति जो न्यायालों में अपना वाद चलाने में असमर्थ हों उनको कानूनी सहायता और एडवोकेट निःशुल्क उपलब्ध कराना व ऐसे बच्चे या व्यक्ति जो कानूनी सहायता न मिलने के कारण जेल में बंद हो कि मदद करना व उन्हें जेल से छुडाना।

Ravi mani

Neha mavi

आवेदन सं०: 202300733022107

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 119 वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री रवि मावी, पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह

निवासी: निवासी मकान न0 140 शहजादपुर तहसील मवाना जिला मेरठ

व्यवसाय: अन्य

न्यासी: 2

श्रीमती नेहा मावी, पत्नी श्री रवि मावी

निवासी: निवासी मकान न0 140 शहजादपुर तहसील मवाना जिला मेरठ

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री रजनीश कुमार मावी , पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह

निवासी: निवासी ग्राम शहजादपुर तहसील मवाना जिला मेरठ

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री अंकुर , पुत्र श्री राजकुमार सिंह

निवासी: निवासी ग्राम शहजादपुर तहसील मवाना जिला मेरठ

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मौ० मुसर्रत प्रभारी
उप निबंधक : मवाना
मेरठ
08/11/2023

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

मौ ० मुसर्रत
निबंधक लिपिक मेरठ
08/11/2023

प्रिंट करें

(8) सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 व मानव हित के अन्य अधिनियमों का उपयोग करना व जन जागरूकता के लिए सम्मेलन, विचार गोष्ठी करना व पम्पलेट, बैनर बटवाना व लगवाना।

(6) ट्रस्टीगण के अधिकार एवं कर्तव्य और नियुक्ति :–

(1) यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फंड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधिक तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी भी समय ट्रस्ट के उददेश्यों के लिए व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसमें संस्थापक का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा।

(2) यह कि न्यासी/ट्रस्टी की मृत्यु होने पर या अक्षम अथवा अनुपयुक्त होने पर प्रशासनिक निदेशक रिक्त स्थान की घोषणा करेगें। व न्यासीयो के साथ ट्रस्ट के सक्रिय सदस्यों में से जो योग्य, शिक्षित और ट्रस्ट के उपयुक्त हो को संस्थापक, सचिव से विचार विमर्श के बाद नये ट्रस्टी का मनोनय करेगें, जिसमें संस्थापक का निर्णय सर्वमान्य होगा।

(3) यह कि संस्थापक का कार्यकाल जीवनपर्यान्त होगा। संस्थापक ट्रस्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए पदाधिकारियो को नियुक्त करेगें जिनका कार्यकाल एक वर्ष का होगा। तथा समय से पहले भी संस्थापक पदाधिकारियों को उनके पद से हटा सकते हैं। संस्थापक द्वारा सचिव की नियुक्ति की जायेगी। और सविच को हटाने का अधिकार केवल संस्थापक को ही होगा।

Ravi Mavi

Neha Mavi

(4) यह कि ट्रस्टी और राष्ट्रीय परिषद की सभा को प्रस्ताव पारित करने व सविधान संशोधन करने और नये उददेश्य और प्रावधान बनाने का अधिकार होगा जो संस्थापक के हस्ताक्षर होने के बाद लागू होगें।

(7) यह कि व्यवस्थापकों/ट्रस्टी ने ट्रस्ट को सुचारू रूपे से संचालन करने हेतु अपने में से संस्थापक व सचिव नियुक्त कर लिए है। संस्थापक को ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए नये ट्रस्टी बनाने का अधिकार होगा। लेकिन समस्त अधिकार नये ट्रस्टी बनाने के लिए केवल अध्यक्ष के ही होगें।

(8) यह कि रवि मावी अध्यक्ष उपरोक्त ट्रस्ट व नेहा मावी ट्रस्ट की प्रथम सचिव होगी।

(9) यह कि यदि किसी कारणवश अध्यक्ष या सचिव की मृत्यु हो जाती है तो उनके स्थान पर नोमिनी के तौर पर जय नारायण मावी पुत्र श्री रवि मावी निवासी मकान नंबर 140 शहजादपुर तहसील मवाना जिला मेरठ इस ट्रस्ट का संस्थापक होगा जिसमें किसी भी ट्रस्टी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

(ख) सचिव– श्रीमती नेहा मावी पत्नी श्री रवि मावी निवासी मकान नंबर 140 शहजादपुर तहसील मवाना जिला मेरठ

(9) ट्रस्ट के पदाधिकारियों के कार्य :–

(1) अध्यक्ष– यह कि ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठकों को समय से बुलाना व ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए महासचिव को

Ravi mavi

Neha Mavi

निर्देश व सहयोग प्रदान करना, ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही करना।

(क) ट्रस्ट के सक्रिय सदस्यों और पदाधिकारियों के परिचय पत्र जारी करना।

(ख) ट्रस्ट की सभी चल अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रखना व उनकी सुरक्षा करना।

(ग) सचिवों को दिशानिर्देश देना व उनको कार्य देना व कार्य लेना।

(10) ट्रस्ट के अंग :–

(1) राष्ट्रीय परिषद– ट्रस्ट के ट्रस्टी, कार्यशील सदस्यों और समाज के बुद्धिजीवी व्यक्तियों, समाजसेवकों में से मनोनय के द्वारा 51 सदस्यों की राष्ट्रीय परिषद का गठन अध्यक्ष और सचिव द्वारा किया जायेगा।

(क) राष्ट्रीय परिषद की प्रत्येक 06 माह बाद सभा होगी, जो अधिकार एवं कार्तव्य और नियुक्ति के बिन्दु संख्या चार के अनुसार कार्य करेगी। राष्ट्रीय परिषद अपना सभापति चुनेगी जिसके निर्देशन में राष्ट्रीय परिषद की सभाओं का संचालन होगा।

(ख) राष्ट्रीय परिषद प्रत्येक वर्ष के लिए दो–तिहाई बहुमत से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष उददेश्यों के बिन्दु संख्या पांच से नौ तक के उददेश्यों के लिए कार्य करेगें। जिसे ट्रस्ट की किसी अन्य गतिविधि में या किसी सम्पत्ति में हस्तक्षेप करने या अपना हक जमाने का कोई अधिकार नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई अन्य पदाधिकारी किसी का भी परिचय पत्र जारी नहीं करेगें।

Ravi Mavi

Neha Mavi

(ग) राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद के प्रति उत्तदारयी होगा, उसे जबतक राष्ट्रीय परिषद में बहुमत प्राप्त रहेगा, अपने पद पर बना रहेगा।

(ध) राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद के प्रत्येक मीटिंग में पदाधिकारियों सहित उपस्थित रहेगा। और राष्ट्रीय परिषद के प्रत्येक सदस्य के प्रश्नों के जवाब देगा।

(ड) राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसाशनिक निदेशक और राष्ट्रीय महासचिव से राष्ट्रीय पदाधिकारी (सामाजिक कार्य) के मनोनयन की सूची को सत्यापित करायेगा व कोई भी जन आन्दोलन चलाने के लिए राष्ट्रीय परिषद की सहमति आवश्यक होगी।

(च) राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिव के पद को छोड़कर अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारी अपने विवेक से सक्रिय सदस्यों में से नियुक्त करेगा। राष्ट्रीय महासचिव ट्रस्ट और सामाजिक कार्य का एक ही होगा। यदि कार्यकाल के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाया जाता है। तो उसके द्वारा नियुक्त सभी पदाधिकारियों का भी पद स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

(11) संगठन की सदस्यता एवं सदस्यता शुल्क :–

(1) साधारण सदस्य– जो सज्जन (पुरूष/महिला) भारतीय नागरिक हो, नैतिक आचरण व सर्वोदय विचार वाला हो तथा किसी नशे का आदि ना हो, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो एवं संस्था के उददेश्यों के प्रति रूचि रखता हो, संगठन का सदस्य बन सकेगा। साधारण सदस्य का वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/– प्रति वर्ष होगा।

Ravi Mavi

Neha Mavi

(2) सक्रिय सदस्य– जो व्यक्ति 15 साधारण सदस्य बनायेगा वह संगठन का सक्रिय सदस्य होगा। सक्रिय सदस्य वह व्यक्ति भी बन सकेगा जो 15 सदस्यों का एकमुस्त शुल्क जमा करेगा, परन्तु प्रतिबंध यह होगा कि उसे एक माह के अन्दर 15 सदस्यों की सूची कार्यालय पर जमा करनी होगी।

(3) पदाधिकारी– सक्रिय सदस्य ही पदाधिकारी बन सकेगें।

यह कि अध्यक्ष से विचार विमर्श करके जिला स्तर पर जिला संयोजक नियुक्त करेगें। जो अध्यक्ष और सचिव के आदेशानुसार कार्य करेगा।

(12) यह कि अध्यक्ष को कौशल और कार्यनुसार कार्यकर्ताओं को पारिश्रमिक व लाभ देने व तय करने का अधिकार होगा।

(13) यह कि अध्यक्ष और सचिव ट्रस्ट के नाम से चालू खाता, सावधि जमा खाता, ओवर ड्राफ्ट खाता व सभी प्रकार के बैकिंग खाते किसी भी रजिस्टर्ड संस्था जो बैकिंग व्यवसाय करती हो अथवा राष्ट्रीय बैंक में खोल ओर रख सकते है। उक्त सभी खातों का संचालन संयुक्त अथवा पृथक–पृथक हस्ताक्षर से होगा।

(1) यह कि बैंक के खाते के संचालन के लिए हस्ताक्षर बदलने के लिए केवल अध्यक्ष लेटर पैड पर हस्ताक्षर प्रमाणित करगें। जो बैंक को मान्य होगें।

यह कि अध्यक्ष और सचिव को बैंकों से ऋण लेने व ट्रस्ट की सम्पत्तियों को बंधक रखने आदि का पूरा अधिकार होगा।

Ravimavi

Neha mavi

(14) यह कि ट्रस्ट इनकम टैक्स 1961 व वैल्थ एक्ट 1957 या कोई भी अन्य एक्ट के अन्तर्गत आयकर के प्रावधानों के अनुसार छूट पाने के लिए विभाग में कार्यवाही करेगें। व आयकर अधिनियम के सभी नियमों/प्रावधानों का पालन करेगें।

(15) यह कि जब तक राष्ट्रीय परिषद का विधिवत गठन हो और वह राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित न कर दे, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कार्य प्रशासनिक निदेशक करेगें।

(16) यह कि यह कि एतदद्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टी गण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होगें तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों का निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात् ट्रस्ट का विघटन कर सकते है। तथा इसके पश्चात् जो भी लाभ या हानि होगी वह ट्रस्टीयों द्वारा वहन किया जायेगा तथा इन सब कार्यो के लिए अध्यक्ष व सचिव का निर्णय सर्व मान्य होगा।

विभाग/शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का विवरण–

(क) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में राज्य सरकार के जिला स्तर के किसी अधिकारी को संस्था द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा।

(ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक

Ravi Mavi

Neha Mavi

शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनिशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(ङ) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तो से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।

(ज) विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जायेगी।

(झ) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पत्रिकाओं में रखा जायेगा।

Ravi Mavi

Neha Mavi

(ञ) उपर्युक्त क्रम क से झ में कोई परिवर्तन/संशोधन बिना शासन एवं विभाग की अनुमति के नहीं दिया जायेगा।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप ट्रस्टीगण ने हस्ताक्षर किये है।

नोटः— कार्यालय ट्रस्ट की सम्पत्ति पर नहीं है।

नोटः— उक्त ट्रस्ट डीड में 1100/—रू0 के अतिरिक्त कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है।

Ravi Mavi

Neha Mavi

गवाह नं 1 रजनीश कुमार मावी S/ विजेन्द्र सिंह नि० ग्राम- शाहजादपुर तहसील मवाना जिला मेरठ

Rajnish mavi

गवाह नं0 2 अंकुर S/. राजकुमार सिंह नि शाहजादपुर तहसील मवाना जिला मेरठ

मस0: समीर कुमार त्यागी एड0 मवाना

टा0: राजीव कुमार त0 मवाना

तह0 ता0: 8-11-2023

Sameer Kumar.
Advocate
Mawana (Meerut)
Reg. No. 7770/2003

आवेदन सं०: 202300733022107

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 55 के पृष्ठ 53 से 76 तक क्रमांक 119 पर दिनाँक 08/11/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मौ० मुसर्रत प्रभारी
उप निबंधक : मवाना
मेरठ
08/11/2023

प्रिंट करें